[श्री जगन्नाथराव जोशी]

में कुछ सुझाव दिये जायें। एक सुझाव तो मैं भी दे सकता हूं। पांचवें प्लान में कम से कम एक चीज को आप प्राथमिकता दें और वह है पेय जल। आप पहले प्लान से जैसे कहते आ रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि पांचवें प्लान में पेय जल की समस्या बिल्कुल नहीं रहे। आज भी लाखों गांव ऐसे हैं जहां पेय जल का पूरा प्रबन्ध नहीं है। जो आगे बढ़े हुए लोग हैं वहां पेय जल की समस्या है तो ऐसे पिछड़े लोगों की हालत क्या होगी, इसका कोई भी अनुमान कर सकता है। पेय जल के बाद रहने का प्रबन्ध उनके लिए होना चाहिए। घरों की समस्या जो है वह हल होनी चाहिए। ग्रामीण भागों में लोग बेकार हैं काम चाहते हैं उन को काम नहीं मिलता है। मिट्टी पड़ी हुई है, पत्थर पड़े हुए हैं, पहाड़ों के पहाड़ हैं, जंगलों के जंगल हैं, चाहे जितनी लकड़ी मकान बनाने के लिए आप ले लें। फिर मकानों की कमी क्यों है?

....

श्री रामावतार शास्त्री : जिस विषय पर बहस चल रही है उस के मंत्री नहीं हैं, वह होने चाहियें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : साढ़े पांच बजे वक्तव्य होना चाहिए।

सभापति महोदय : स्पीच के बाद होगा। मंत्री महोदय पूछ कर गए हैं। अभी आ जाते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इनको अभी और बोलना है।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : शेड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में बहस हो रही है। मंत्री की क्या जरूरत है। इस में तो संतरी की जरूरत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये कल बोल सकते हैं, अब वक्तव्य आना चाहिए। हमें कुछ स्पष्टीकरण भी मांगना होगा वक्तव्य पर और उस में समय लगेगा।

श्री राज बहादुर : चार छः मंत्री बैठे हुए हैं, सम्बन्धित मंत्री भी यहां थे।

सभापति महोदय : स्टेटमेंट पर सवाल नहीं होंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जानते हैं मैं सवेरे उठा था तब कहा गया था कि वक्तव्य देंगे। वक्तव्य के बाद सवाल नहीं। किस नियम के अन्तर्गत।

सभापति महोदय : 372।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह वक्तव्य हमारे कहने के आधार पर दिया जा रहा है।

सभापति महोदय : आप सुनिये। दी मिनिस्टर।

17.35 hrs.

STATEMENT *RE*. INCIDENTS IN KINGSWAY CAMP, DELHI

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT): Sir, according to information received from the Delhi Administration, yesterday at about 10.30 p.m. at Kingsway Camp, it is alleged there was an altercation between a scooter-rickhaw driver and a driver of a truck of the 34th Battalion of PAC, on duty in Delhi. This developed into a scuffle between some local residents and some men of the Battalion during which it is alleged that the police vehicle was surrounded and one PAC constable was forcibly taken away by the residents to their jhuggis.

This infuriated the men of the PAC Battalion who are alleged to have proceeded from their camp and beaten up people on the road and others living in the road-side jhuggis. According to available information, 30 persons, having received injuries in the incidents, reported at the various hospitals. 16 of them have been discharged after treatment and 14 admitted to the hospitals.

Senior officers of the Administration visited the spot and arranged for medical attention to the injured persons. A case under sections 147, 148, 149 IPC has been registered against the PAC personnel and 7 persons including 6 officers have been arrested. The case is being investigated by the Delhi CID (Crime Branch) according to law. The District Magistrate has ordered an Additional District Magistrate to hold an inquiry into these incidents and has asked him to submit his report within four days. The PAC Battalion has been removed from duty.

Since the facts of these incidents are being investigated and inquired into according to law, I would not like to comment on them. However, we have made it clear on several occasions that no excesses or high handedness on the part of the law enforcement agencies will be condoned.

MR. CHAIRMAN: Rule 372 says:

> "A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made."

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi): With respect, I would submit that a few clarifications can be allowed. I was personally present at the time of the incident. The police behaviour in this case has been most atrocious....

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat. I have not allowed you.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : सभापति महोदय, आप नियमों की आड़ ले कर इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमारा मुंह बन्द करना चाहते हैं । आप इस बारे में सदन को राय ले लीजिए ।

इस बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस नियम का आप ने हवाला दिया है, वह श्री पन्त के वक्तव्य पर लागू नहीं होता है । वह नियम केवल उन्हीं वक्तव्यों पर लागू होता है, जिन को मंत्री महोदय स्वयं आ कर सदन में करते हैं । श्री पन्त का वक्तव्य मेरे द्वारा आज सवेरे उठाये गए प्रश्न के जवाब में दिया गया है । मैं ने एक काम-रोको प्रस्ताव दिया था और मैं स्पीकर सहाब से मिला । उन्होंने कहा कि मैं मंत्री महोदय से कह रहा हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें । क्योंकि यह वक्तव्य मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्न के जवाब में दिया गया है, इस लिए हम इस बारे में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं । अगर आप इस की इजाजत नहीं देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप हमारा मुंह बन्द करना चाहते हैं । दिल्ली में पुलिस घरों में घुस कर नागरिकों को मार रही है । क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस इस तरह से अत्याचार और ऐसी व्यवस्था कर सकती है

सभापति महोदय : आप ने सवेरे यह सवाल उठाया और स्पीकर साहब ने कहा कि मिनिस्टर सहाब एक स्टेटमेंट करेंगे । उन्होंने अब स्टेटमेंट कर दिया है । स्पीकर साहब ने आप को यह परमिशन नहीं दिया था कि आप रूल्ज के अगेंस्ट क्वेस्चन भी कर सकते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो सब जानते हैं कि वक्तव्य के बाद हम स्पष्टीकरण मांग सकते हैं । क्या मंत्री महोदय को

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

यह अधिकार है कि वह सदन को गुमराह करें मंत्री महोदय ने कहा है कि लोग एक पुलिस वाले को पकड़ कर ले गये। यह बिल्कुल गलत है लोग किसी पुलिस वाले को पकड़ कर नहीं ले गये। श्री पन्त ने बताया कि जिस पुलिस वाले को लोग पकड़ कर ले गये, उस का नाम क्या है। नहीं तो मुझे उन के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाना पड़ेगा। दिल्ली में पुलिस इस तरह अत्याचार करे और हम उस के बारे में स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं!

सभापति महोदय : अगर मैं आप को अलाऊ करता हूं, तो मैं दूसरे सदस्यों को सवालपूछने से कैसे रोक सकता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप सब सदस्यों को एलाऊ कीजिए

सभापति महोदय : आप लिख कर दे दीजिए। स्पीकर साहब उसको देख लेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए। क्या सदन अपने नियमों को स्थगित नहीं कर सकता है। आप सदन की राय ले लीजिए।

सभापति महोदय : अगर मैं सवाल पूछने की इजाजत देता हूं, तो इस का मतलब यह होगा कि मैं रूल के अगेंस्ट एलाऊ कर रहा हूं। मैं इस रूल को ससपेंड करने के लिए तैयार नहीं हूं। आप इस बारे में स्पीकर साहब को लिखें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, इस समय चेयर पर आप बैठे हुए हैं पूरी बातें सदन के सामने नहीं आई हैं। पुलिस वाले इन्टरनेशनल स्टुडेंट्स होस्टल में घुसना चाहते थे, जिस में विदेशी छात्र रहते हैं अगर श्री भगत वहां लेट न जाते, तो पुलिस वाले वहां घुस जाते। इस प्रकार की केवल यही घटना नहीं है। लगातार पुलिस के इस तरह के आचरण हो रहे हैं।

सभापति महोदय : रूल्ज सवाल पूछने को एलाऊ नहीं करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम आप के निर्णय के खिलाफ सदन से बाहर चले जायेंगे। आप जुबानबन्दी कर रहे हैं। यह वक्तव्य उस रूल के अन्तर्गत नहीं आता है।

सभापति महोदय : मेरा खयाल है कि आता है। श्री जोशी अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, सब सदस्यों को एक एक प्रश्न पूछ लेने दीजिए।

सभापति महोदय : मैं रूल 372 के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मिनिस्टर के स्टटमेंट के बाद क्वस्चन एलाऊ नहीं किये जाते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम हमेशा सवाल करते रहे हैं। यह मामला मैं ने सबेरे उठाया था। यह वक्तव्य उस के जवाब में दिया गया है। सरकार ने खुद वह वक्तव्य नहीं दिया है।

सभापति महोदय : अगर एक दो सदस्यों ने सवाल पूछना हो, तो दूसरी बात है। लेकिन अगर मैं एक सदस्य को एलाउ करता हूं तो सब सदस्य सवाल पूछेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं ने यह मामला उठाया था। आप मुझे तो इजाजत दीजिए।

श्री एच० के० एल० भगत : यह मेरी कांस्टीट्युएन्सी का मामला है। मैं वहां मौजूद था। मुझे तो इजाजत दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, आप जानते हैं कि दिल्ली में असेम्बली

नहीं है । इस प्रश्न को केवल यहां ही उठाया जा सकता है । इस लिए आप अपने निर्णय पर पुर्नविचार करें ।

सभापति महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि कितने सदस्य सवाल पूछना चाहते हैं । जो चार माननीय सदस्य खड़े हुए हैं, मैं केवल उन्हीं को सवाल पूछने की इजाजत दूंगा । मैं उन के अलावा और किसी को एलाऊ नहीं करूंगा ।

श्री वाजपेयी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, पुलिस और जनता के बीच यह विवाद एक स्कूटर और ट्रक में टक्कर को ले कर हुआ । लेकिन यह विवाद इतना कैसे बढ़ गया कि पुलिम वालों ने घरों में घुस कर लोगों को पीटा ।

श्री पन्त ने अपने वक्तव्य में इस का उल्लेख नहीं किया है । मैं ने सवेरे स्वयं घटनास्थल पर जा कर देखा । पुलिस घरों में घुस गई । अगर कहीं दरवाजे बन्द थे, तो दरवाज तोड़ गये । जहां यह दुर्घटना हुई और झगड़ा शुरू हुआ, मेरी पार्टी के एक म्युनिसिपल कौंसिलर, श्री जगदीश आनन्द, वहां नहीं थ, वह अपने घर में थे । उन को पीटा गया । उन के सिर पर टांके लगे हुए हैं । वह काफी देर तक अस्पताल में बहोशी की अवस्था में पड़े रहे । पुलिस बिल्कुल पागल हो गई । श्री भगत इस बात की पुष्टि करेंगे कि पुलिस वाले इन्टर-नेशनल स्टुडेंट्स होस्टल में, विदेशी विद्यार्थियों के छात्रावास में, जो दूर है, घुसना चाहते थे । इस प्रकार की यह अकेली घटना नहीं है । जो पुलिस रक्षा के लिए बनी है, जब वह इस प्रकार आक्रमण करने लगेगी . . . . .

सभापति महोदय : आप का सवाल क्या है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा सवाल यह है कि क्या श्री पन्त ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है, क्या कोई जांच यह पता लगायेगी कि थोड़ी सी उत्तेजना में पुलिस इस तरह पागल क्यों हो जाती है ? यह अकेली घटना नहीं है। शाहदरा में क्या हुआ ? उस के बाद कालकानगर में क्या हुआ ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली की पुलिस थी । क्या दिल्ली में दिल्ली से बाहर की पुलिस भी लाई गई है ? क्या वह किसी विशेष काम के लिए आई है ? उस ट्रक पर कौन अधिकारी था क्या वहां पुलिस वाले किसी के नियंत्रण में नहीं थे, दिल्ली के अधिकारी वहां कब पहुंचे ? और मैं जानना चाहता हूं एक तो तात्कालिक कारण और दूसरा दूरगामी कारण । क्या हम यह समझ लें कि पुलिस का अनुशासन ढीला हो रहा है ? पुलिस बदले की भावना से जनता के विरुद्ध काम करती है और मेरा निवेदन है, इस में गहराई से जा कर विचार करना होगा । पंत जी यह बताएं कि सारे मामले की जांच कौन कर रहा है ? क्या एडीशनल मैजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं ? मेरा निवेदन है कि यह जांच पर्याप्त नहीं है ? एक व्यापक जांच हो जो केवल इस कांड की नहीं, सब कांडों को देख कर पुलिस में कहीं अनुशासनहीनता तो नहीं घुस गई, इस का विचार करे और अगर गृह मंत्रालय पुलिस पर नियंत्रण नहीं कर सकता तो निवेदन है कि पुलिस से हमे पिटवाने के बजाय . . . .

एक माननीय सदस्य : अपना रिजाइन दे दें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम को ही पीट लीजिए ।

श्री एच०के०एल० भगत : सभापति जी, यह सरकार ने अच्छा किया कि मुकदमा रजिस्टर किया और खास जो आफिसर थे उन को गिरफ्तार किया । यह भी अच्छा किया कि उन्होंने मैजिस्ट्रीरियल एन्क्वायरी कराई । लेकिन मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं क्यों कि मैं वहां था और उस वाकये का कुछ भाग

[श्री एच० के० एल० भगत]

मैंने देखा है। मैं उस समय तो वहां नहीं था जब इन की पार्टी के कौंसिलर का वाकया हुआ। मैं उस के थोड़ी देर बाद पहुंचा। मैं उस के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्यों कि वह मैं ने देखा नहीं। लेकिन जो मैंने देखा उस की विना पर मैं कुछ पूछना चाहता हूं। मैं कोई पुलिस का क्रिटिक भी नहीं हूं और मेरा कोई बायस्ड व्यू वाजपेयी जी की तरह से सरकार के खिलाफ भी नहीं है। लेकिन वहां मैं ने जो कुछ देखा तो वहां पुलिस टीम की तरह, किसी डिसिप्लिन, किसी लीडरशिप के नीचे, किसी निजाम में काम नहीं कर रही थी, वह विलकुल भीड़ की तरह, गुस्से में, बदले की भावना से उन लोगों को मार रही थी जो न तो जिस जगह पहला आलटरकेशन जिसे कहते हैं उस से कोई संबंध उन का था, न उन से कोई कंफ्रंटेशन था, न उन से कोई क्वारल था, न कोई झगड़ा था, विलकुल वही शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बिल्कुल पागल की तरह घुस कर उन जगहों पर जो काफी दूरी पर थे उन लोगों को पीट रही थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि कि जब पुलिस की यह टुकड़ी पुलिस लाइन से गई तो आखिर वहां कोई कायदे होते हैं किस आफिसर की अथारिटी है वहां से भेजने की। कौन अफसर है जिसको अधिकार होता है कि पुलिस लाइन से किसी मौके पर पुलिस को जाने की इजाजत दे? मैं जानना चाहता हूं कि कौन अफसर था? उस का रैंक क्या है जिस ने पुलिस लाइन से इस टुकड़ी को जाने दिया और कौन सा अफसर था जिस ने उस मौके पर पुलिस को कमाण्ड किया जब उन्होंने यह सारा कांड किया? प्राइमा फेसाई एन्क्वारी उन्होंने की, केस रजिस्टर किया, यह सब ठीक है लेकिन प्रोइमाफेसाई एन्क्वारी क्या बताती है कि किसकी आज्ञा से यह पुलिस वहां गई? किस की आज्ञा से वहां पुलिस ने लोगों पर बेरहमी से अत्याचार किया? यह मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (चांदनी चौक): सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि अभी दो चार महीने पहले ही इस पी० ए० सी० की यू० पी० में इतनी शिकायत आई थी कि वहां भी होम मिनिस्टर साहब को यहां से अपने अफसर भेज कर तहकीकात करानी पड़ी थी, नहीं मालूम उस तहकीकात पर उन की क्या रिपोर्ट है, लेकिन जो शिकायत उन की आई थी उस को देखते हुए यह भी पी० ए० सी० दिल्ली में काहे के लिए बुला कर रखी गई थी, यह मैं जानना चाहती हूं। यह भी मैं जानना चाहती हूं कि अगर उस वक्त यू० पी० की जो फीरोज़ाबाद और बनारस में रिपोर्ट आई थी अगर वह इन के खिलाफ नहीं थी तो क्या अब होम मिनिस्टर साहब इस पर फिर तहकीकात करेंगे जो उन को यह सबूत मिल गया है कि इस पी० ए० सी० ने दिल्ली में किस तरह बिहेव किया।

श्री रामावतार शास्त्री: सभापति जी, दिल्ली की पुलिस जिस तरीके से पागल होती जा रही है या हो गई है... (व्यवधान) ....

एक माननीय सदस्य: वह दिल्ली की नहीं थी, यू० पी० की पी० ए० सी० थी।

श्री रामावतार शास्त्री: : दिल्ली में आ कर जिस ने ऐसा किया, यह घटना सिर्फ यहीं की नहीं है, इस का असर दूसरे सूबों पर भी पड़ रहा है और तमाम जगह पुलिस पागल की तरह व्यवहार कर रही है। मैं राज्यों का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन आप जानते हैं। तो, मैं यह जानना चाहता हूं कि पी०ए०सी० के द्वारा जो घटना काका नगर में हुई... (व्यवधान) ..... किंग्सवे कैम्प में हुई, वहां पुलिस किस काम के लिए गई थी, किस उद्देश्य से गई थी। ..... (व्यवधान)

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि बहुत से लोग घायल हुए जिनको पी ए० सी० वालों ने घरों में घुस कर बेरहमी के साथ पीटा, तो जो लोग घायल हैं, जख्मी हैं उन के लिए कोई व्यवस्था सरकार ने की है या नहीं ? उनको कोई मुआवजा या सहायता देने के बारे में कोई व्यवस्था की गई है या नहीं ? अगर नहीं तो सरकार उन के बारे में कुछ सोचती है, या नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि जो अटल बिहारी जी ने वह सवाल उठाया कि यह वक्तव्य सरकार ने सुओ मोटो दिया या नहीं, मैं उस सवाल को नहीं उठाना चाहता था क्योंकि मैं उन को रोकना नहीं चाहता था अगर यह सवाल उठाना चाहते थे । लेकिन बात सही यह है कि सबेरे हम ने भी यह फैसला किया था कि सुओ-मोटो हम वक्तव्य देंगे । उन का नोटिस आता या न आता यह वक्तव्य हम देने वाले थे सुओ-मोटो, सबेरे ही हम ने इसका फैसला कर लिया था और बता दिया था आपके आफिस को । हम ने इन्फार्मेशन कलेक्ट की । उस में थोड़ा सा समय लगा ।

पहली चीज यह है कि जो मैं ने इस वक्त सूचना दी उस से बाहर इस वक्त सूचना देना मेरे लिए बड़ा कठिन है क्योंकि एन्क्वारी चल रही है । चार दिन के अन्दर वह एन्क्वारी पूरी हो जायेगी और अगर मैं कोई ऐसी बात कहूं जिस से कि उस एन्क्वायरी पर असर पड़े तो वह ठीक नहीं होगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बिना एन्क्वायरी के कह दिया कि जनता पुलिस वालों को पकड़ ले गई थी ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जी नहीं । मैं फिर कह देता हूं उस को । इस में मैं ने यह कहा है :

"…. It is alleged that the police vehicle was surrounded and one PAC constable…."

इस का भी एलीगेशन है, यह मैं ने स्टेटमेंट आफ फैक्ट नहीं कहा, एलीगेशन कहा । अब आप ने पूछा कि जांच की या नहीं की, यह मैं ने अपने वक्तव्य में बताया है । पूछा कहां की पुलिस है । यू पी की पी०ए०सी० है । आप ने पूछा कि इस में आफिसर कोई थे या नहीं थे? तो इस के आफिसर थे ? और मैं ने बताया कि 6 अफसरों को पकड़ लिया गया है । सिक्स आफिसर्स हैव बीन अरेस्टेड । यह मैं ने अपने वक्तव्य में कहा ।

भगत जी ने दो बातें पूछी थीं कि कौन अफसर उन के साथ था, किस ने हुकम दिया कार्यवाही करने का तो जैसा मैं ने कहा आठ आफिसर साथ थे और उसके बावजूद यह जो कुछ हुआ उस पर जो वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहुंचे उन्होंने कार्यवाही की । 6 आफिसर पकड़े गये जिस का जिक्र मैं ने कर दिया है ।

यह पूछा सुभद्रा जी ने कि पी० ए० सी० यहां क्यों बुलाई गई ? यहां दिल्ली में जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो पी० ए० सी० दूसरे प्रदेशों से बुलाई जाती है । कोई नई बात नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली वालों को पिटवाने के लिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : दिल्ली की पुलिस अगर आप को ज्यादा प्रिय हो तो मैं पी० ए० सी० न बुलाऊं । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी दिल्ली पुलिस पर आक्रमण करते हैं कभी बाहर की पुलिस पर करते हैं । आप पुलिस वाले बन नहीं सकते । तो किया क्या जाय ?

शास्त्री जी ने पूछा कि क्यों पुलिस भेजी गई, किस काम से भेजी गई और क्या सहायता दी गई उन लोगों को चोटें लगीं हैं तो जिन को

[श्री कृष्ण चन्द्र पंत]

चोट लगी है उन को सहायता दी गई उन का मैंने जिक्र किया है। बाकी सब चीजें तो जांच से निकलेंगी।

18.59 hrs

MOTION RE: NINETEENTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1969-70—*contd.*

श्री जगन्नाथ राव जोशी : सभापति महोदय, में यह जिक्र कर रहा था कि जहां तक घरों का सवाल है इस देश के अंदर काफी साधन साम्ग्री उपलब्ध होने के बाद भी यह घरों की समस्या क्यों इस देश के अदर है? यह मेरा सवाल था। क्यों कि आज जो वास्तव में साधन सम्पत्ति है उस का उपयोग हम कर सकते हैं। बेकार हाथ बहुत पड़े हैं जो काम चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी बहुत बढ़ रही है। उन को काम देना बहुत आवश्यक है। तो वहां पर साधन सामग्री जुटा कर उन्हें काम दिया जा सकता है। जैसे यहां काफी पहाड़ हैं, मिट्टी काफी है, लकड़ी काफी है जंगलों में। तो जिम घरों की आवश्यकता हम महसूस करते हैं। वह आवश्यकता हम पूरी क्यों नहीं कर सकते यह मेरी समझ में नहीं आता है। केवल मुझे यही कहना पड़ता है कि सब कुछ होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते तो इसका मतलब है।

योजक तत्व दुर्लभ :

इसकी योजना करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। कभी कभी ऐसा महसूस होता है :

in the midst of a crowd, we feel alone....

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may continue tomorrow. The House stands adjourned to meet again at 11.00 a.m. tomorrow.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 16, 1972/Kartika 25, 1894 (Saka).

MGIPND—2416 LS—Lino—28-12-72—1010